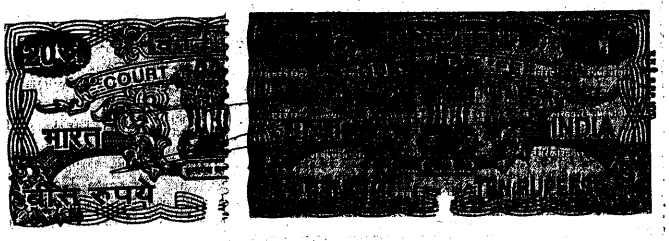

-1-

56

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल ग्वालियर म0प्र0

प्र.क्र. R 572-I/17

1. संतोष तनय स्व. मूलचंद्र कुम्हार
2. मुकेश तनय स्व. मूलचंद्र कुम्हार
3. श्रीमति विनई पत्नि स्व. मूलचंद्र कुम्हार

निवासी ग्राम सौरा तह. व जिला छतरपुर ....निगरानीकर्तागण/आवेदकगण

द्वारा आज दि. 2-2-17 को प्रस्तुत

विरूद्व

म.प्र.शासन ....अनावेदक

क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

निगरानी अंतर्गत धारा 50 सहपठित धारा 32 एंव धारा 165 म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959

उपरोक्त नामांकित निगरानीकर्ता न्यायालय श्रीमान् अपर कलेक्टर छतरपुर द्वारा प्रकरण क्र 10/अ-21/16-17 में पारित आदेश दिनांक 17/11/16 से दुखित होकर निम्न आधारों सहित अन्य आधारों पर अपनी यह निगरानी श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत कर रहा है :-

1. यह कि, प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम सौरा स्थित भूमि खसरा क्र 200/1 रकवा 1.220 हे. भूमि आवेदकगण के पिता को पट्टे पर प्राप्त भूमि है तथा उनको भूमिस्वामी अधिकार भी प्रदत्त किए गए है एंव वर्तमान में राजस्व अभिलेख में आवेदकगण के नाम पर दर्ज है। उक्त वादग्रस्त भूमि को विक्रय किए जाने हेतु अनुमति प्राप्त हेतु निगरानीकर्तागण द्वारा एक आवेदन पत्र अपर कलेक्टर छतरपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया। आवेदन पत्र मुख्यतः इस आधार पर प्रस्तुत किया गया कि वादग्रस्त भूमि उपजाउ ना होने से वह अपना व अपने परिवार का भरण पोषण सही तरीके से नहीं कर पा रहा है साथ ही आवेदक क्र 3 का स्वस्थ ठीक नहीं रहता जिसके इलाज हेतु उसको पैसों की आवश्यकता है परंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि विपरीत कार्यवाही कर आदेश पारित किया गया है जिससे परिवेदित होकर निगरानीकर्तागण की निगरानी सशक्त आधारों पर श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत है।

(नितेन्द्र सिंघई
अ.
94251-71223
7000853503)

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश –ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R-574/I/17 जिला .....छतपुर.....

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
8-2-17	1– आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता श्री नितेन्द्र सिंधई उपस्थित अनावेदक शासन पक्ष की ओर से पैनल अधिवक्ता उपस्थित उभयपक्ष अधिवक्तागणों के तर्क सुने। मैने प्रकरण का अवलोकन किया। यह निगरानी प्रकरण अपर कलेक्टर छतरपुर जिला छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 10/अ–21/वर्ष 16–17 में पारित आदेश दिनांक 17/11/16 के विरूद्व प्रस्तुत की गयी है जिसके साथ धारा 5 परिसीमा अधिनियम का आवेदन पत्र मय शपथपत्र भी प्रस्तुत किया गया है। 2– आवेदकगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क में कहा गया है कि आवेदक की भूमि ग्राम मौजा सौरा खसरा क्र 200/1 रकवा 1.220 हे में स्थित है जो कि पटटे पर प्राप्त भूमि है तथा प्रश्नाधीन भूमि वर्तमान में आवेदकगण के नाम पर दर्ज भूमि है जिसको विक्रय किए जाने की अनुमति प्राप्त किए जाने हेतु आवेदकगण द्वारा एक आवेदन पत्र मय शपथपत्र व दस्तावेजों सहित अपर कलेक्टर छतरपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। 3– आवेदकगण द्वारा यह भी तर्क दिया गया कि आवेदक द्वारा जो भूमि विक्रय की अनुमति हेतु आवेदन पत्र दिया गया था वह इस आधार पर दिया गया था कि प्रश्नाधीन भूमि कृषि कार्य हेतु उपयुक्त नहीं है, इस कारण से वह इस भूमि को विक्रय कर अन्य स्थान पर कृषि योग्य भूमि क्रय करना चाहती हैं जिससे वह अपने परिवार का जीविकोपार्जन कर सके। आवेदक द्वारा इस न्यायालय के समक्ष तर्क प्रस्तुत किया कि वर्तमान में आवेदक क्र 3 का स्वास्थ अत्यन्त खराब हो गया है जिस कारण से इलाज हेतु उसे पैसों की अत्यन्त आवश्यकता है। चूंकि वह भूमि को विक्रय करने के उपरान्त उतनी ही अधिक उससे ज्यादा भूमि क्रय करेगी इस प्रकार	

-3- R 572/17

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषक आदि के हस्ताक्षर
	उनके पास वर्तमान में जितनी भूमि है उसमें कमी नहीं होगी बल्कि उनके पास ज्यादा भूमि हो जायेगी उनके द्वारा तर्क में यह भी बताया गया आवेदकगण का भूमि विक्रय की अनुमति प्रदाय किए जाने का आवेदन पत्र लंबित होने से वह अपना सही तरीके से पैसों के आभाव में इलाज नहीं कर पा रहा है तथा ऐसा प्रतीत होता है कि अधीनस्थ न्यायालय प्रकरण को लंबित रखना चाहते है। उनके द्वारा यह भी तर्क दिया गया है कि आवेदकगण द्वारा भूमि विक्रय का इकरार भी किया गया है। उक्त आधार पर उनके द्वारा निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया है ।	
	4— निगरानी के साथ विलंब माफ किए जाने के लिए धारा 5 म्याद अधिनियम का आवेदन पत्र शपथ पत्र सहित प्रस्तुत किया है। आवेदक के विलंब माफ किए जाने के तर्कों पर विचार कर प्रस्तुत न्याय दृष्टांत एम.पी.एल.जे. 2015 भाग 4 सुप्रीम कोर्ट कार्यपालन अधिकारी अंतीपुर नगर पंचायत विरूद्व जी आरूमुगम न्याय दृष्टांत के परिपेक्ष्य में निगरानी में हुए विलम्ब को माफ किया जाता है।	
	5— उभयपक्ष अधिवक्तागणों के तर्कों पर विचार किया एवं प्रकरण का तथा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। इस प्रकरण में यह निर्विवादित तथ्य है कि आवेदकगण द्वारा विक्रय की जा रही भूमि शासन से पट्टे पर प्राप्त भूमि है तथा उसकी स्वअर्जित भूमि नहीं है। आवेदकगण द्वारा अपनी अस्वाथता के संबंध में शपथपत्र भी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की प्रतियों के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक की प्रश्नाधीन भूमि आवेदक के नाम पर दर्ज भूमि है एंव वह अपनी भूमि को विक्रय करना चाहती है। साथ ही साथ आवेदकगण द्वारा इस न्यायालय के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह अनुरोध किया है कि आवेदकगण प्रश्नाधीन भूमि को विक्रय कर उसके स्थान पर विक्रय की जा रही भूमि के बराबर अथवा उससे भी अधिक अन्य भूमि अपने निवास स्थान के समीप क्रय करेगा इस प्रकार उनके पास वर्तमान में जितनी भूमि है उसमें कमी नहीं होगी। अतः प्रकरण की समग्र परिस्थितियों पर विचार के उपरान्त प्रकरण की अद्यतन स्थिति के परिप्रेक्ष्य में	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। 6— उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी स्वीकार की जाकर आवेदक को ग्राम सौरा स्थित भूमि खसरा क्र 200/1 रकवा 1.220 हे को विक्रय करने की अनुमति निम्न शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि उप पंजीयक विक्रय पत्र संपादित होने के दिनांक को प्रचलित शासन की गाईडलाईन के मान से विक्रयधन विक्रेता को अदा होने की संतुष्टि कर विक्रय पत्र संपादित करें। सदस्य	